प्रेस नोट **जनपद-रामपुर** **दिनांक 26-05-2021**

twitter-@rampurpolice FB-रामपुर पुलिस

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री शगुन गौतम द्वारा जनपद में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत की गई कार्रवाई–

थाना भोटः–प्रधानी के चुनाव को लेकर हुई मारपीट, फायरिंग, पत्थर बाजी, गाली गलौच, आदि करने में वांछित चल रहा अभियुक्त गिरफ्तार–

दिनांक 15–05–2021 को थाना भोट, रामपुर पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम नवादा में दो पक्षों के मध्य मारपीट व फायरिंग हो रही है। दोनों पक्ष प्रधानी के चुनाव को लेकर एक–दूसरे की जान लेने पर तुले हुए है। इस सूचना पर थाना भोट पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर जाकर देखा तो प्रथम पक्ष के शफीक पुत्र रहीश (पूर्व प्रधान) निवासी ग्राम नवादा थाना भोट, रामपुर सहित 07 व्यक्ति नामजद तथा दूसरे पक्ष के राहत जान पुत्र मौहम्मद जान निवासी ग्राम नवादा थाना भोट, रामपुर सहित 09 व्यक्ति नामजद व 20–25 अज्ञात व्यक्ति एक–दूसरे के घरों में घुसकर लाठी–डन्डों से मारपीट कर रहे थे। मकानों की छत पर चढकर एक दूसरे पर फायरिंग व पत्थर बाजी कर रहे थे। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को काफी समझाने का प्रयास किया परन्तु नहीं माने और पुलिस पर भी हमलावार होकर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने लगे। इस सम्बंध में थाना भोट, रामपुर पर मु0अ0सं0–62/21 धारा 147,148,149,452,323,353,307,504,506,188, 269 भादवि व 07 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम व 3(1) महामारी अधिनियम बनाम शफीक आदि 16 नफर नामजद व 20–25 अज्ञात पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 26–05–2021 को उक्त अभियोग में वांछित चल रहा अभियुक्त ताहिर पुत्र बुद्धा निवासी ग्राम नवादा थाना भोट, रामपुर को ग्राम नवादा से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई। अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

थाना मिलकखानम– ग्राम आकानगर में दो पक्षों में आपस में गाली–गलौच, मारपीट व पत्थरबाजी करने में वांछित चल रहा अभियुक्त गिरफ्तार–

दिनांक 05–05–2021 को थाना मिलकखानम क्षेत्र के ग्राम आकानगर में कल्वे अली पक्ष तथा नवनिर्वाचित प्रधान पक्ष के लोग बिना मास्क लगाये कोविड–19 के नियमों का उल्लंघन करते हुए लाठी–डन्डों व नाजायज असलहों से लैस होकर आपस में गाली–गलौच, मारपीट व पत्थरबाजी कर रहे थे। इस सम्बन्ध में थाना मिलकखानम पर मु0अ0सं0–67/21 धारा 147,148,149,188,323, 336,504,506,269,270 भादवि व 3 महामारी अधिनियम व 07 सी.एल. एक्ट बनाम कल्वे अली आदि 49 नामजद व 20–25 महिला व पुरूष अज्ञात पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 26–05–2021 को थाना मिलकखानम पुलिस द्वारा उक्त

अभियोग में वांछित चल रहा अभियुक्त साजिद उर्फ शाहिद अली निवासी ग्राम आकानगर थाना मिलकखानम, रामपुर को ग्राम सरकड़ी मोड से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई। अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

थाना खजुरियाः–मारपीट, जान से मारने की धमकी तथा तीन तलाक देने में अभियुक्त (पति) गिरफ्तार

दिनांक 25–05–2021 को एक महिला द्वारा थाना खजुरिया, रामपुर पर सूचना दी कि उसकी शादी करीब 06 वर्ष पहले वलियद खॉ पुत्र मोहम्मद हनीफ खां निवासी ग्राम लखीमपुर थाना खजुरिया जिला रामपुर के साथ हुई थी। तब से ही उसका पति वलियद खॉ व ससुर मोहम्मद हनीफ उसके साथ मारपीट तथा प्रताडित कर रहे है। दिनांक 25–05–2021 को उसके चचेरे देवर शाहरूख खॉ व ससुर मोहम्मद हनीफ ने उसके साथ छेडछाड तथा उसके पति वलियद खॉ ने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए तीन तलाक दे दिया। इस सम्बंध में थाना खजुरिया रामपुर पर मु0अ0सं0–60/21 धारा 498ए,323,504,506,354 भादवि व 3/4 मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। इसी क्रम में थाना खजुरिया, रामपुर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में नामित अभियुक्त वलियद खॉ पुत्र मौहम्मद हनीफ खॉ निवासी ग्राम लखीमपुर थाना खजुरिया, रामपुर को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी। अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

थाना टाण्डाः–एक अद्द नाजायज तमंचे के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 26–05–2021 को थाना टाण्डा पुलिस द्वारा जमील अहमद पुत्र अब्दुल मारुफ निवासी मौ0 दायमपुरा कस्बा व थाना टाण्डा जनपद रामपुर को कस्बा टाण्डा से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 अद्द नाजायज तंमंचा 12 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना टाण्डा रामपुर पर मु0अ0सं0–112/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना अजीमनगर–480 नशीला पाउडर व 120 गोली एल्प्राजोलाम के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 26–05–2021 को थाना अजीमनगर पुलिस द्वारा यूसुफ पुत्र मौ0 हुसैन नि0 ग्राम आंगा थाना अजीमनगर जिला रामपुर को मंगल बाजार ग्राम आंगा रोड से 480 नशीला पाउडर व 120 गोली एल्प्राजोलाम के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बंध में थाना अजीमनगर, रामपुर पर मु0अ0सं0–148/21 धारा 8/21 एनड़ीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना पटवाई:–सी0एस0एक्ट के अभियोग में प्रकाश में आया एक अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 26–05–2021 को थाना पटवाई पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 91/2021 धारा 379 भादवि0 व धारा 3/5/8 सी0एस0एक्ट के अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त आकिल पुत्र शौकत निवासी ग्राम नवाबनगर थाना पटवाई जनपद रामपुर को ग्राम रहटगंज के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक अद्द नाजायज देशी तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के गिरफ्तार किया गया। इस सम्बधं में थाना पटवाई पर मु0अ0सं0 99/2021 धारा 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही है।

थाना शाहबाद–गैर इरादतन हत्या में 05 अभियुक्तगण गिरफ्तार तथा घटना में प्रयुक्त किया गया लोहे का सरिया बरामद–

16–05–2021 को वादी आस मोहम्मद पुत्र मजीद निवासी ग्राम मधुकर थाना शाहबाद, रामपुर द्वारा थाना शाहबाद पर तहरीर सूचना दी कि दिनांक 15–05–2021 को प्रार्थी के पिता मजीद पुत्र नजर अहमद तथा उसका भाई अशफाक व आशक अली तेल बेचकर मधुकर परोता रोड होते हुए आ रहे थे तो लल्ला बाबू ने अपने सगे भतीजे सोनू व हेमु तथा अपने गैंग के अन्य साथियों के साथ मिलकर मेरे पिता मजीद की हत्या करवा दी। इस संबंध में थाना शाहबाद, रामपुर पर 10 अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 26–05–2021 को थाना शाहबाद, रामपुर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में वांछित चल रहे 05 अभियुक्तगण को चौकी ढकिया क्षेत्रांतर्गत खंजीपुरा बॉर्डर से गिरफ्तार कर कार्यवाही की जा रही है तथा अभियुक्तगण की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त किया गया लोहे का सरिया भी बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

01– शिवराज उर्फ लल्ला बाबू पुत्र सुरेश सिंह,
02– सोनू पुत्र ब्रजराज सिंह,
03– हेमेंद्र उर्फ हेमु पुत्र बृजराज
04– नवीन पुत्र हुकुमचंद,
05– बृजपाल पुत्र खेमकरन निवासीगण ग्राम मधुकर थाना शाहाबाद, रामपुर।

थाना गंज–टॉप–10 एवं हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त 01 अद्द नाजायज तंमचे संहित गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री शगुन गौतम द्वारा जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत एवं अपर पुलिस अधीक्षक, रामपुर डा0 संसार सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में आज दिनांक

26–05–2021 को थाना गंज, रामपुर पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीटर व टॉप–10 अभियुक्त इस्लाम को ग्राम सजनी नानकार चौराहे से केसरपुर को जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 अदद नाजायज तमंचा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ।

गिरफ्तार हिस्ट्रीशीटर व टॉप–10 अभियुक्त का नाम व पताः–

इस्लाम पुत्र बुद्धन निवासी ग्राम नानकार थाना गंज जनपद रामपुर। (एचएस–40/ए)

बरामदगीः–

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद नाजायज तमंचा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास–

01–मु0अ0सं0–125/14 धारा 147,149,332,353,342,201,171 भादवि व 135 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम थाना गंज, रामपुर।

02–मु0अ0सं0–661/16 धारा 382 भादवि थाना गंज, रामपुर।

03–मु0अ0सं0–278/16 धारा 379,411 भादवि थाना गंज, रामपुर।

04–मु0अ0सं0–031/17 धारा 307 भादवि थाना गंज, रामपुर।

05–मु0अ0सं0–032/17 धारा 25 आयुद्ध अधिनियम थाना गंज, रामपुर।

06–मु0अ0सं0–395/19 धारा 401 भादवि थाना सिविल लाइन, रामपुर।

07–मु0अ0सं0–587/19 धारा 3/11 पशु क्रुरता अधि0 थाना सि0ला0, रामपुर।

08–मु0अ0सं0–591/19 धारा 414,420 भादवि थाना गंज, रामपुर।

09–मु0अ0सं0–832/16 धारा 147,148,307,353,143,186,188,336,436,427 भादवि व 07 सी0एल0ए0 एक्ट थाना गंज, रामपुर।

10–मु0अ0सं0–185/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गंज, रामपुर।

कार्यवाहीः–

मु0अ0सं0–185/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः–

01– श्री रामवीर सिंह यादव प्रभारी निरीक्षक थाना गंज, रामपुर

02– उप निरीक्षक श्री राम किशोर गौतम,

03– हेड कां0 455 लोकेंद्र सिंह

थाना पटवाई– एक अद्द नाजायज तमंचे के साथ टॉप–10 अभियुक्त गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री शगुन गौतम द्वारा जनपद में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक, रामपुर डा0 संसार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी मिलक के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26–05–2021 को थाना पटवाई, रामपुर पुलिस द्वारा टॉप–10 अभियुक्त इश्तेकार उर्फ इफ्तेकार को हाजी नगर तिराहे से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अद्द नाजायज तमंचा 315 बोर मय 02 कारतूस जिंदा 315 बोर बरामद हुए।

गिरफ्तार टॉप–10 अभियुक्त का नाम व पता–

इश्तेकार उर्फ इफ्तेकार पुत्र लड्डन निवासी ग्राम हाजीनगर थाना पटवाई, रामपुर।

बरामदगी–

गिरफ्तार टॉप–10 अभियुक्त इश्तेकार उर्फ इफ्तेकार के कब्जे से 01 अद्द नाजायज तमंचा 315 बोर मय 02 कारतूस जिंदा 315 बोर बरामद हुए।

गिरफ्तार टॉप–10 अभियुक्त का आपराधिक इतिहास–

01– मु0अ0सं0–229/19 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना पटवाई, रामपुर।
02– मु0अ0सं0–65/19 धारा 379,411 भादवि थाना पटवाई, रामपुर।
03– मु0अ0सं0–65/20 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना पटवाई, रामपुर।
04– मु0अ0सं0–152/20 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना पटवाई, रामपुर।

कार्यवाही–

इस संबंध में थाना पटवाई पर मुकदमा अपराध संख्या–98/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना पटवाई–

01–उ0नि0 श्री राहुल गंगवार
02–हेड कां0 265 मुन्न खॉ
03–कां0 786 सोहन वीर सिंह

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री शगुन गौतम द्वारा कोरोना कर्फ्यू का प्रभावी अनुपालन कराने हेतु शहर क्षेत्र का भ्रमण कर शाहबाद गेट एवं जीरो प्वाइंट सिविल लाइन पर की गयी संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों तथा अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों की सघन चेकिंग की गयी–

दिनांक 26–05–2021 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक रामपुर, श्री शगुन गौतम द्वारा कोरोना कर्फ्यू का प्रभावी अनुपालन कराने हेतु शहर क्षेत्र का भ्रमण किया गया। शहर के शाहबाद गेट तथा जीरो प्वाइंट थाना सिविल लाइन पर संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों तथा अनावश्यक एवं बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों की चेकिंग की गई। यातायात तथा कोविड–19 के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरूद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करते हुए, कोरोना कर्फ्यू एवं यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। चेकिंग के दौरान लगभग 33 वाहनों को सीज भी किया गया।